

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

चौखण्डपर

बनाम

रतनलक्ष्मी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा

काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 84 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
27/10/16	<p>वकील वादी उपस्थित ।  वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत .....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 5/12/16 को पेश हो।</p>	
4/12/16	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी द्वारा प्रतिवादी का नोटिस अन्तर्गत तामिल प्रार्थना के अन्तः वकील वादी सभी पत्रा व P/F सम्मन पेश करें। पत्रावली आज दिनांक 19/11/17 को पेश हो।</p>	
19-1-17	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी द्वारा वकील वादी P/F सम्मन पेश करने के समय चाहते हैं कि पत्रावली आज दिनांक 10/2/17 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
मारवाड़ जंक्शन

*[Signature]*

*[Signature]*

तारीख  
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज

आ  
का

23/9/19

पतावली आज पेश हुई वकील वादीया 370  
 वकील वादीया को निर्देशित किया गया  
 कि दिनांक 11/12/18 को आदिनामे तक P/F  
 जमान पेश नहीं किये गए। यदि आज  
 न्यायालय को कार्यजाल तक P/F जमान पेश  
 नहीं किया जाए तो अग्रिम कार्यवाही अमल में  
 ली जायेगी। वकील वादीया ने 5:00 PM तक  
 P/F जमान पेश नहीं किये हैं अतः वादीया  
 अधिवक्ता का पक्ष मिल प्रक्रिया लंदिल को  
 भादेश 9- नियम 5 के तहत खारीज किया  
 जा रहा है। मिलल मिलल शुमार होकर नलवार  
 के काम है।  
 निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23/9/19  
 को सुनाया गया।

लक्ष्मी लक्ष्मी  
 10/10

